कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,राजस्थान,जयपुर

क्रमांकः– क्रमांक एफ 10 (10)89 / जॉच प्रमुवसं / 253-368 दिनांकः–9/2/12

# परिपत्र

**समस्त सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक,**
**समस्त मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक, / भू संरक्षण अधिकारी /**
**उप मुख्य वन्य जीव प्रति पालक**

विषयः– सेवानिवृति सन्निकट लोकसेवको के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में ।

संदर्भः– कार्मिक (क–3 / जॉच) विभाग के परिपत्र दिनांक 30.4.99, 3.3.2001, 30.9.2002, 31.8.2006 20.8.2007 एवं इस कार्यालय का पत्र पृष्ठांकन क्रमांक एफ 10(10)89 / जॉच / प्रमुवसं / 3753 – 3910 दिनांक 31.10.2007

राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत एवं सेवानिवृति के सन्निकट लोकसेवको के संदर्भ में अनुशासनिक जॉच कार्यवाही प्रारम्भ / सम्पादित करने के संबंध में संदर्भित परिपत्रों से जारी दिशा–निर्देशों की ओर आपका ध्यान आकर्षित कर लेख है कि उक्त दिशा निर्देशों के बावजूद कई वर्ष पूर्व की घटना से संबंधित प्रकरणों में भी अनुशासनिक जॉच कार्यवाही के प्रस्ताव सेवानिवृत्ति के दिन अथवा सेवानिवृत्ति के कुछ ही दिवस पूर्व अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रेषित किये जा रहे है जो उचित नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित दिशा निर्देशो में बारम्बार यह स्पष्ट किया जा चुका है कि निकट भविष्य में सेवानिवृत हो रहे लोकसेवको के प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाही प्रस्तावित करने में विलम्ब नही करना चाहिए और सेवानिवृत्ति दिवस के आस–पास ही आरोप पत्र प्रसारित करने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए।

इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि सभी कार्यालयाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षो के कार्यालयो में इस प्रकार के प्रकरणों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जाये एवं प्रत्येक लोकसेवक की सेवानिवृत्ति में जब 2 वर्ष शेष रह जावें तब से ही उसके सेवा अभिलेख का उसके सभी पदस्थापनो के संदर्भ में परीक्षण कर यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि क्या उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का प्रकरण प्रस्तावित स्थिति में लम्बित तो नहीं है,। इस कार्यवाही को अधिकतम 6 माह की अवधि में पूरी करके आरोप पत्र प्रसारित करवाने का उत्तरदायित्व उस कार्यालय का होगा जहॉ कि संबंधित कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत है।

अतः सभी संबधितो को पुनः व्यादिष्ट किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशो की अक्षरशः पालना, सुनिश्चित करे एवं सेवानिवृत्ति के सन्निकट,लोकसेवको के संदर्भ में प्रस्तावित अनुशासनिक जॉच कार्यवाही के प्रकरणों का शीघ्रता से निस्तारण करवाये।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं हैड ऑफ फोरेस्ट फोर्स

क्रमांकः– क्रमांक एफ 10 (10)89 / जॉच प्रमुवसं / 369-398 दिनांकः– 9/2/12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण।
2. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षकगण।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षकगण।

मुख्य वन संरक्षक,(मुख्यालय)
राजस्थान जयपुर